Re: Installation of electric pole and transformers on private land by Power Distribution Companies without the permission of land owners ? laid

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा अपने पोल, ट्रांसफार्मर आदि निजी/शासकीय भूमि पर बिना भूमिस्वामी के संज्ञान या सहमति के उनकी भूमि पर लगा लेते हैं इसके बदले ये कंपनी भूमि स्वामी को कोई मुआवजा या किराया नहीं देती है। यदि बाद में मूल भूमि स्वामी इसी भूमि पर किसी निर्माण या अन्य उपयोग लिए अपनी भूमि पर लगे पोल, ट्रांसफार्मर आदि को हटवाना चाहते हैं तो कंपनी नहीं हटाती है। यदि हटाती भी है तो भारी धनराशि इसके बदले भूमिस्वामी से लेती है। यहां तक कि विद्युत कंपनी शासकीय विभागों से भी शिफ्टिंग के लिए राशि लेती है। इससे किसान या भूमिस्वामी काफी आर्थिक एवं मानसिक परेशानी से जूझता है। विद्युत कंपनियों की अनापत्ति के अभाव में अनेक शासकीय निर्माण तक प्रभावित होते हैं। अतः जनहित में मैं मांग करता हूं कि विद्युत कंपनियां ट्रासफार्मर, पोल एवं अन्य कार्य के लिए भूमि स्वामी को किराया स्वरूप राशि दे या इस पर पोल/ट्रांसफार्मर आदि न लगाये।